L. C. BILL No. XV OF 2025.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PREVENTION OF BEGGING ACT.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १५ सन् २०२५।

महाराष्ट्र भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधि विधेयक।

सन् १९६० का १०।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र भिक्षावृत्ति निवारण (संशोधन) अधिनियम, २०२५ कहलाए ।

सन् १९६० का १०।

२. महाराष्ट्र भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की, धारा २ की, उप-धारा (१) के,—

सन् १९६० का १० की धारा २ में संशोधन।

सन् १९४८ का बम्बई ७१।

(क) खण्ड (चार) में, "बॉम्बे बालक अधिनियम, १९४८" शब्दों और अंकों के स्थान में, "किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, २०१५" शब्द और अंक रखे जायेंगे ; सन् २०१६ का २।

(ख) खण्ड (चार) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् : -

"(चार-क) " बालक कल्याण समिति" का तात्पर्य, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, २०१५ की धारा २७ के अधीन गठित बालक कल्याण समिति से है।"; सन् २०१६ का २।

(ग) खण्ड (छ) अपमार्जित किया जाएगा।

सन् १९६० का १० की धारा ३ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ३ में, " किशोर न्यायालय" शब्द अपमार्जित किए जायेंगे ।

सन् १९६० का १० की धारा ४ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा ४ की, उप-धारा (३) में "दण्ड प्रक्रिया संहिता १८९८ की धारा ६१" शब्दों और अंकों के स्थान में, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ की धारा ५८" शब्द और अंक रखे जायेंगे। सन् १८९८ का ५। सन् २०२३ का ४६।

सन् १९६० का १० की धारा ५ में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा ५ की, उप-धारा (९) अपमार्जित की जाएगी।

सन् १९६० का १० की धारा ८ में संशोधन।

६. मूल अधिनियम की धारा की, ८ की, उप-धारा (४) में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ की धारा ४८८" शब्दों और अंकों के स्थान में, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ की धारा १४४" शब्द और अंक रखे जायेंगे। सन् १८९८ का ५। सन् २०२३ का ४६।

सन् १९६० का १० की धारा ९ में संशोधन।

७. मूल अधिनियम की धारा ९ की,—

(१) उप-धारा (२) में,—

(क) "किशोर न्यायालय को" शब्दों से प्रारम्भ होनेवाले तथा "उस धारा के " शब्दों से समाप्त होनेवाले भाग के स्थान में, निम्न भाग रखा जाएगा, अर्थात् :— सन् २०१६ का २।

"बालक कल्याण समिति को, जो किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, २०१५ के उपबंधों के अनुसार बच्चों से व्यवहार करती है।"

(ख) परंतुक में, "संक्रामक कुष्ठरोगी या" शब्द अपमार्जित किए जायेंगे ;

(२) उप-धारा (३) में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ की धारा ६१" शब्दों और अंकों के स्थान में, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ की धारा ५८" शब्द और अंक रखे जायेंगे । सन् १८९८ का ५। सन् २०२३ का ४६।

सन् १९६० का १० की धारा २६ में संशोधन।

८. मूल अधिनियम की धारा २६ की,—

(क) पार्श्व टिप्पणी में "कृष्ठरोगी और" शब्द अपमार्जित किए जायेंगे;

(ख) उप-धारा (१) में, "या कृष्ठरोगी शब्द, दोनों स्थानों पर जहाँ कहीं वे आए हों " "या कुष्ठरोगी आश्रयस्थान" शब्द अपमार्जित किए जायेंगे ;

(ग) उप-धारा (२) में "या कृष्ठरोग ठीक हो गया है" शब्द अपमार्जित किए जायेंगे;

(घ) उप-धारा (३) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात् :— सन् २०१७ का १०।

"मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, २०१७ के उपबंध, उप-धारा (१) के अधीन मनोरुग्ण अस्पताल में भर्ती प्रत्येक भिखारी को जिस अवधि के लिए वह भर्ती किया जाना आदेशित किया गया था वह अवधि अवसित होने के पश्चात्, लागू होगी और वह समयावधि, जिसके दौरान भिखारी उस उप-धारा

के अधीन मनोरुग्ण अस्पताल में भर्ती है, वह अवधि जिसके लिए वह भर्ती किए जाने के लिए न्यायालय द्वारा आदेशित किया जा सकेगा, के भाग के रुप में गिना जाएगा :

परंतु, जहाँ विकृत चित्त के कारण भिखारी को तत्काल हटाया जाना आवश्यक है, ऐसी संस्था, जिसमें भिखारी को रखा गया है, जब तक एसे मामले में ऐसे राज्य सरकार का आदेश प्राप्त न हो जाए, तब तक मनोरुग्ण अस्पताल को तत्काल भेजने के लिए उक्त अधिनियम के अधीन अधिकारिता होनेवाले न्यायालय को आवेदन करना संभव होगा।

सन् १९६० का १० की धारा ३० में संशोधन ।

९. मूल अधिनियम की धारा ३० में की,—

सन् १८९० का ११। सन् १९६० का ५९।

(क) उप-धारा (२) में, "पशुओं के प्रति क्रुरता की निवारण अधिनियम, १८९० की धारा ६ख" शब्दों और अंकों के स्थान में, "पशुओं के प्रति क्रुरता की निवारण अधिनियम, १९६० की धारा ३५" शब्द और अंक रखे जायेंगे।

सन् १८९० का ११। सन् १९६० का ५९।

(ख) उप-धारा (३) में "पशुओं के प्रति क्रुरता की निवारण अधिनियम, १८९० की धारा १५" शब्दों और अंकों के स्थान में, "पशुओं के प्रति क्रुरता की निवारण अधिनियम, १९६० की धारा ३८" शब्द और अंक रखे जायेंगे।

सन् १८९० का ११। सन् १९६० का ५९।

(ग) उप-धारा (४) में "पशुओं के प्रति क्रुरता की निवारण, अधिनियम, १८९० की धारा १५" शब्दों और अंकों के स्थान में, "पशुओं के प्रति क्रुरता की निवारण अधिनियम, १९६० की धारा ३८" शब्द और अंक रखे जायेंगे ।

सन् १८६० का ४५ सन् १८६० का ४५।

सन् १९६० का १० की धारा ३२ में संशोधन ।

१०. मूल अधिनियम की धारा ३२ में "भारतीय दण्ड संहिता" शब्दों और अंकों के स्थान में, "भारतीय न्याय संहिता, २०२३" शब्द और अंक रखे जायेंगे।

सन् १८९८ का ५। सन् २०२३ का ४६।

सन् १९६० का १० की धारा ३३ में संशोधन ।

११. मूल अधिनियम की धारा ३३ में "दण्ड प्रक्रिया की संहिता, १९९८" शब्दों और अंकों के स्थान में, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ शब्द और अंक रखे जायेंगे।"

सन् १८९८ का ५। सन् २०२३ का ४६।

सन् १९६० का १० की धारा ३४ में संशोधन ।

१२. मूल अधिनियम की धारा ३४ में "दण्ड प्रक्रिया की संहिता, १८९८" शब्दों और अंक के स्थान में, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३" शब्द और अंक रखे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य

महाराष्ट्र भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम (सन् १९६० का १०) में महाराष्ट्र राज्य में भिक्षावृत्ति की निवारण करने से संबंधित तथा उससे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध अंतर्विष्ट है ।

२. उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) क्र. ८३ /२०१० (कुष्ठरोग संघटन संघ (एफओएलओ) और अन्य बनाम भारतीय संघ राज्य तथा अन्यों (रिट याचिका (सी) क्र. ११५१ /२०१७ से संलग्न) देखिए दिनांकित ७ मई २०२५ के उनके आदेश में सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि, वे संविधान से पहले या संविधान के पश्चात् राज्य अधिनियमों, विनियमों, सांविधिक नियमों या उप-विधियों आदि, में, जिसमें कुष्ठरोगी प्रभावित या उपचारित व्यक्तियों के संबंध में पक्षपाती अभिव्यक्तियाँ अंतर्विष्ट है, में यथोचित संशोधन करें।

३. तद्नुसार, निदेशों का पालन करते हुए, सरकार ने, राज्य विधियों में ऐसे पक्षपाती उपबंधों की पहचान करने के लिए विधि और न्याय विभाग के अधीन एक समिति गठित की है। उक्त समिति ने कुष्ठरोग प्रभावित था उपचारित व्यक्तियों के संबंध में उपबंध अंतर्विष्ट होनेवाले महाराष्ट्र भिक्षावृत्ति की निवारण अधिनियम में धाराएँ ९ और २६ की पहचान की है और अतः उक्त अधिनियम में यथोचित संशोधन करने की सिफारिश की है। इसलिए, महाराष्ट्र भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम की धारा ९ और २६ में संशोधन करना आवश्यक समझा है।

४. महाराष्ट्र भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम में विद्यमान केंद्रिय अधिनियमों द्वारा निरसित केंद्रिय और राज्य अधिनियमों के प्रतिस्थापित संदर्भो का आनुषंगिक संशोधन करने का भी अवसर मिला है।

५. इसलिए, महाराष्ट्र भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम में कुष्ठरोग प्रभावित या उपचारित व्यक्तियों के संबंध में उपबंधों का विलोपन करने द्वारा तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों से निरसित विधि-विधानों के संदर्भों की प्रतिस्थापना द्वारा यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझा गया है।

६. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों का प्राप्त करना है।

नागपूर,
दिनांकित ८ दिसंबर, २०२५।

आदिती तटकरे,
महिला तथा बालविकास मंत्री।

विधान भवन :
नागपूर,
दिनांकित ८ दिसंबर, २०२५।

(यथार्थ अनुवाद),
श्री. अरूण कमळाबाई वाळू गिते,
प्रभारी भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

डॉ. विलास आठवले,
सचिव (३),
महाराष्ट्र विधानपरिषद।

शासकीय मुद्रणालय, नागपूर.